भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2852

मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एमआईडीसी औद्योगिक भूमि

2852. श्री शाहू शहाजी छत्रपतीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल्हापुर जिले में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) की औद्योगिक भूमि की वर्तमान दर क्या है;

(ख) क्या भूमि की कीमतों का निर्धारण परियोजना के आकार या रोजगार सृजन के आधार पर अलग-अलग होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोल्हापुर जिले में बड़ी विनिर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): 'उद्योग' मुख्य रूप से राज्य का विषय है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) ने दिनांक 15.03.2024 को एक परिपत्र सं. पी-71225 जारी किया, जिसके द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंडों की संशोधित प्रचलित दरें दिनांक 01.04.2024 से लागू कर दी गईं। ये दरें परियोजना के आकार अथवा रोजगार सृजन के अनुसार भिन्न-भिन्न नहीं होती हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**औद्योगिक क्षेत्र का नाम**	**प्रचलित औद्योगिक दर (भारतीय रुपए में) (रुपए/वर्ग मीटर)**
1.	शिरोल	2080/-
2.	गोकुल शिरगांव	1420/-
3.	कागल हातकांगले फाइव स्टार	980/-

4.	अजरा (मिनी)	400/-
5.	गढ़िंगलाज	500/-
6.	हलकर्णी	500/-
7.	आई.टी. पार्क, कोल्हापुर	1210/-

(ग): भारत सरकार महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले सहित देश भर में औद्योगिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और केंद्र सरकार के अन्य विभागों के माध्यम से, उपयुक्त नीतिगत कार्यकलापों के माध्यम से देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए एक सक्षम ईकोसिस्टम प्रदान किया जाता है।

विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्धन और सुविधा के लिए विभिन्न पहलें की हैं जैसे मेक इन इंडिया अभियान, स्टार्ट अप इंडिया, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी), एफडीआई नीति का उदारीकरण, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम (उन्नति-2024) और भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) आदि।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि प्रोत्साहन पैकेज स्कीम-2019 के अनुसार, बड़ी विनिर्माण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:

1) <u>बिजली शुल्क से छूट</u>

सभी पात्र नई इकाइयों को 7 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

2) <u>स्टांप शुल्क से छूट</u>

नई और विस्तारित इकाइयां भूमि अधिग्रहण हेतु और सावधि ऋण प्रक्रिया के लिए निवेश अवधि के दौरान स्टांप शुल्क के भुगतान से छूट के लिए पात्र हैं।

3) <u>औद्योगिक संवर्धन सब्सिडी</u>

क. 50 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 750 करोड़ रुपए से कम नियत पूंजी निवेश (एफसीआई) या 500 न्यूनतम प्रत्यक्ष रोजगार वाले करवीर,

पन्हाला, हातकांगले और शिरोल तालुकों में स्थित विशेष बड़े पैमाने की और बड़ी इकाइयां 7 वर्षों के लिए पात्र एफसीआई के 60% की औद्योगिक संवर्धन सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

ख. 50 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए से कम एफसीआई या 400 न्यूनतम प्रत्यक्ष रोजगार वाले कागल, गढ़िंगलाज, चंदगढ़, अजरा, भूदरगढ़, राधानगरी, बावाड़ा और शाहूवाड़ी तालुकों में स्थित विशेष बड़े पैमाने की और बड़ी इकाइयां 7 वर्षों के लिए 70 प्रतिशत पात्र एफसीआई की औद्योगिक संवर्धन सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

*****